तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./3342/2003/सीकर **रामेश्वर बनाम गुलाबी व अन्य**	
	एकल–पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री ओ.एल.दवे अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री दुनीचन्द अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक :** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 2–7–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद प्रार्थी के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद पत्र के साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विपक्षी द्वारा जबाब प्रस्तुत करने के बाद उभय पक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–6–2002 के द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इ इससे व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2–7–2003 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त कर दिया और ता फैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजी में दखल नहीं करने बाबत प्रार्थी को पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि गिरदावरी में पहले प्रार्थी के पिता एवं बाद में प्रार्थी की काश्त निरन्तर दर्ज है और जमाबन्दी में भी यही स्थिति है। इस दस्तावेजी साक्ष्य की तुलना में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3342/2003/सीकर</u>** **रामेश्वर बनाम गुलाबी व अन्य**	
	मौखिक साक्ष्य के आधार पर अप्रार्थी का कब्जा मानने में अपीलीय न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अप्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जिस पर यह आराजी कुर्क की गई और इस प्रकरण में विस्तृत जांच करने के बाद कब्जा प्रार्थीगण का होना पाया गया। इस आधार पर उपखण्ड अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 26–6–72 द्वारा कब्जा प्रार्थी को सम्भलाने का आदेश दिया गया और तदनुसार कब्जा प्रार्थी को दिया गया इसलिये इस आदेश के पूर्व भी और बाद में भी कब्जा प्रार्थी का ही है और प्रार्थी को बेदखल किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। अधिनियम की धारा 212 के तीनों घटक प्रार्थी के पक्ष में हैं। राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी रामेश्वर बनाम केदार में भी राजस्व मण्डल द्वारा अप्रार्थीगण की अपील में प्रार्थी की आराजी पर जो रिसीवर नियुक्त किया गया था उसको राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दिनांक 22–5–93 के आदेश को बहाल रखा जिसके माध्यम से प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर रिसीवर निरस्त किया गया था। जिसे नजर अन्दाज कर निर्णय पारित करने में अपीलीय न्यायालय ने विधिक भूल की है। अतःनिगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर का आदेश दिनांक 2–7–03 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ का आदेश दिनांक 24–6–2002 बहाल रखा जावे। 5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी सदैव से उनके खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वर्तमान में भी बतौर खातेदार अप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी विवादग्रस्त आराजी पर स्वयं की ढाणी, मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं।यह तथ्य कमिश्नर रिपोर्ट से साबित है। प्रार्थी का विवादग्रस्त आराजी पर न तो कब्जा है और न विवादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध है। राजस्व रेकार्ड शुरू से अप्रार्थीगण के नाम चला आ रहा है। रेकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया केस उनके पक्ष में है। मात्र एक दो वर्षो की खसरा गिरदावरी में नाम अंकित होने से प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। विधि अनुसार कब्जा रेकाडेर्ड खातेदार का ही माना जावेगा। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से निगरानी खारिज योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3342/2003/सीकर</u>** **रामेश्वर बनाम गुलाबी व अन्य**	
	6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति एवं कब्जे बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी सम्बत 2057से 2060 में विवादित भूमि केदारमल पुत्र बिडदा, मु.छोटी बेबा बिडदा जाति जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस जमाबन्दी के अंकन से वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है। अपील न्यायालय एवं विचारण न्यायालय में प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों के अनुसार सम्बत 2011 से 2015 में विवादित भूमि बिडदा की खुदकाश्त अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्बत 2018,2019,2030से 2032में प्रार्थी रामेश्वर की काश्त अंकित है। परन्तु खातेदार के कालम में अथवा उपकृषक के कालम में नाम दर्ज नहीं है। इसके बाद सम्बत 2033 की खसरा गिरदावरी में अप्रार्थीगण के पूर्वज बिडदा की खुदकाश्त अंकित है। इसके उपरान्त प्रार्थी ने विवादित भूमि का कब्जा किससे व किस आधार पर प्राप्त किया यह तथ्य प्रमाणित नहीं है। इसके अभाव में वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं माना जा सकता है। 8– इसी भूमि से सम्बन्धित एक वाद प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है। इस वाद में अप्रार्थी प्रतिवादी है। इसी वाद में प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था एवं अप्रार्थी ने रिसीवरी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई एक ही निर्णय दिनांक 22–5–93से प्रार्थी का अस्थाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की एवं अप्रार्थी का रिसीवरी का प्रार्थनापत्र खारिज किया है। इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष रिसीवरी के प्रार्थना पत्र के आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 30/93 प्रस्तुत की एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 127/93 प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3342/2003/सीकर</u>** **रामेश्वर बनाम गुलाबी व अन्य**	

दिनांक 25–10–99 से दोनों अपीलें स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 22–5–93 को निरस्त किया है एंव वादग्रस्त आराजी पर बिडदा के वारिसान का कब्जा मानते हुये तहसीलदार दातारामगढ को रिसीवर नियुक्त किया है। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी रामेश्वर ने राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 22–5–2002 को निर्णय पारित करते हुये रिसीवरी के आदेश दिनांक 25–10–99 को निरस्त किया है एवं सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 22–5–93 को बहाल रखा है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को अपील संख्या 127/93 के आदेश द्वारा चुनौती दी गई थी जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का तथ्य प्रार्थी ने साबित नहीं कराया है। मण्डल के समक्ष निगरानी केवल रिसीवरी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई थी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

9– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर सम्बत 2032 के उपरान्त कब्जा रहने की कोई साक्ष्य नहीं है जबकि सम्बत 2033 की खसरा गिरदावरी में खातेदार बिडदा की खुदकाश्त दर्ज है। इसके पश्चात प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर किस प्रकार काबिज हुआ यह तथ्य प्रमाणित नहीं है। जहां तक धारा 145 की कार्यवाही का प्रश्न है विधि अनुसार आपराधिक प्रकरणों की साक्ष्य राजस्व मामलों में स्वीकार्य नहीं है। इन सब तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)

सदस्य